न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 614—पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 8—12—15 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 2673/अपील/2014—15.

ब्रजेश बामने वल्द रमेश बामने
निवासी पुरानी इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद ....आवेदक

विरूद्ध

1— श्रीमती गायत्री महालहा पत्नी अनूप महालहा
2— मनीषा महालहा पत्नी अजय महालहा
3— श्रीमती शिवानी महालहा पत्नी अखिलेश महालहा
निवासीगण ग्राम जुझारपुर
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद ....अनावेदकगण

श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री जी0डी0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 8—12—15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि इटारसी स्थित भूमि सर्वे कमांक 484/27 रकबा 0.796 हेक्टेयर आवेदक द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25—10—2011 से क्रय करना दर्शाते हुए सीमांकन प्रकरण का उल्लेख किया जाकर फर्द बटान एवं नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, इटारसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा जॉच कराई जाकर दिनांक 31—7—13 को आदेश पारित कर आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि पर नक्शे में बटांकन के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध

अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 1–6–15 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 8–12–15 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में दिनांक 15–12–2016 को सुनवाई के दौरान आवेदक के अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया । अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किया गये । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क के संदर्भ में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा मौके पर राजस्व निरीक्षक से सभी विकय पत्रों का स्केल के अनुसार नक्शे में बटांकन बुलाये बिना आदेश पारित किया गया है, जो विधि विपरीत है ।

(2) तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित बटांकन को मान्य करते हुए आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जिससे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना हुई है ।

(3) तहसीलदार द्वारा विकय अनुबंध पत्र दिनांक 14–1–2011 को संज्ञान में लेकर उसके आधार पर बटांकन आदेश पारित किया गया है, जबकि विकय पत्र निष्पादित होने के उपरांत इसका कोई अस्तित्व शेष नहीं रह जाता है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विकय पत्र दिनांक 16–11–2011 को अशुद्धि बताते हुए आरोपी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के आदेश दिये हैं, जबकि वास्तव में विकय पत्र में किसी प्रकार की न तो अशुद्धि है, और न ही किसी प्रकार का हेरफेर है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालयों को यह देखना था कि यदि बटांकन के दौरान विकय पत्र के चर्तुसीमाओं के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है तब उन्हें व्यवहार न्यायालय से स्वत्व घोषणा कराने का आदेश देना था । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्कें में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के बटांकन के आवेदन पत्र के निराकरण के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है, जो विधि अनुकूल है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा बटांकन आदेश पारित करने में आवेदक सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है ।

(3) आवेदक द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर बटांकन कराये जाने का आवेदन पत्र दिया गया था, जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(4) आवेदक द्वारा उसके विरूद्ध की जा रही दाण्डिक कार्यवाही से बचने के लिए यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) तीनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा दस्तावेज में कूटरचना की गई है, अतः आयुक्त द्वारा आपराधिक कार्यवाही करने के निर्देश देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत मौके पर स्थल निरीक्षण कराया जाकर राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, और उभय पक्ष सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाकर नक्शे में बटांकन किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । तहसील न्यायालय द्वारा पारित वैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष

वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। आवेदक की ओर से इस न्यायालय में ऐसे कोई तथ्यात्मक अथवा वैधानिक बिन्दु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि जिनसे स्पष्ट होता हो कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों एवं प्रकिया के विपरीत हैं, अतः आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर